



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 29 जनवरी, 2013 / ९ माघ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरि राम, गांव टकौता भट्टां, डाकघर डुंगरी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे ।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरि राम, गांव टकौता भट्टां, डाकघर डुंगरी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित दरख्खास्त गुजारी है कि उसका सही नाम नरेश कुमार है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने शैक्षणिक रिकॉर्ड, पंचायत रिकॉर्ड, मतदाता कार्ड व आधार कार्ड की छाया प्रतियां संलग्न की हैं परन्तु पटवार वृत्त डुंगरी के राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम पवन कुमार गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पटवार सर्कल डुंगरी, मौजा बमसन, तहसील भोरंज के रिकॉर्ड में अजय कुमार उर्फ विनय कुमार दर्ज करने वारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-2-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Sanjay Kumar, aged 29 years s/o Shri Milkhi Ram, r/o Village Baddu, P.O. Khiah, Tehsil and District Hamirpur (H. P.)
2. Savita, aged 19 years d/o Shri Ram Singh, r/o Village Bada Bhuin, P.O. Bhuntar, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Sanjay Kumar and Savita have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-2-2013. The objection received after 16-2-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-1-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Mohinder Singh, aged 41 years s/o Shri Jaishi Ram, r/o Village Kannad, Mauza Dhatwal, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.)

2. Reena Kumari, aged 30 years d/o Shri Amar Singh, r/o Village Sawahlwa, P.O. Tauni Devi, Mauza Ugilta, Tehsil & District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Mohinder Singh and Reena Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-2-2013. The objection received after 18-2-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-1-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Suresh Kumar, aged 30 years s/o Late Shri Bhagat Ram, r/o Village Jhamber, P.O. Dimmi, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.)
2. Smt. Laxmi Kumari, aged 25 years d/o Shri Gian Chand, r/o Village Thana Darogan, P.O. Thana Bajuri, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Suresh Kumar and Smt. Laxmi Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-12-2011 at Shiv Parwati Temple at Thana Darogan, Tehsil & District Hamirpur (H. P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this

court on or before 14-2-2013. The objection received after 14-2-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-1-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Bacchan Singh, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Subhash Chand, aged 27 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Sapnehara, P. O. Barara, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.).
2. Anju Devi, aged 24 years d/o Shri Pritam Chand, r/o Village and P. O. Nawahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) . . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amendment by Marriage Laws (Amendment act 01, 49 of 2001).

Shri Subhash Chand, aged 27 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Sapnehara, P. O. Barara, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.) and Anju Devi, aged 24 years d/o Shri Pritam Chand, r/o Village and P. O. Nawahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 14-1-2013 at Awahdevi Mata Mandir, Tauni Devi, District Hamirpur, Himachal Pradesh as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 15-2-2013. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-1-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

BACCHAN SINGH,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

ब अदालत श्री शमशेर सिंह, स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार) जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा :

Shri Bihari Lal s/o Sh. Sali Ram, r/o Suja, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh पति।

Smt. Rajani Devi d/o Sh. Dharam Singh, r/o Parganu P. O. Bhuntar, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh पत्नी।

बनाम

आम जनता

Application U/s 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

उपरोक्त मामला में Shri Bihari Lal व Smt. Rajani Devi ने न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 9—10—2009 गांव सूजा बागी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दू धर्म के अनुसार शादी की है और तब से वह पति—पत्नि के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 8 उपधारा 4 पंजीकृत मैरिज एकट 1996 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता—पिता को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7—2—2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी कर दिया जावेगा। तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 7—1—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

शमशेर सिंह,
स्पैशल मैरिज अधिकारी (तहसीलदार),
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 1/2013

तारीख मरजुआ : 15—1—2013

तारीख पेशी 1—2—2013

श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री खिमा राम, निवासी शाडीनाल, डा० बजौरा, तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र मृत्यु इश्तहार बारे।

श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री खिमा राम, निवासी शाडीनाल, डा० बजौरा, तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उनकी माता श्रीमती डैवकी पत्नी श्री मथरू, निवासी टकोली, डा० नगवाई, तहसील सदर, जिला मण्डी की मृत्यु दिनांक 20—9—2010 को घर में हुई है। लेकिन गलती से ग्राम पंचायत टकोली के रिकॉर्ड में नहीं काटी गई।

प्रार्थना—पत्र में वर्णित मृत्यु के बारा आम जनता को इश्ताहर राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को श्रीमती डैचकी पत्नी श्री मथरू, निवासी टकोली, डाठ नगवाई, तहसील सदर, जिला मण्डी की मृत्यु दिनांक 20-9-2010 को घर में हुई को काटने के बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 1-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 15-1-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

**Before the Tehsildar-cum-Assistant, Collector 1st Grade, Tehsil Thunag, District Mandi,
Himachal Pradesh**

Case No. 01

Date of Institution : 9-1-2012

In the matter of :

Shri Kamal Dev s/o Shri Swarn Dev, r/o Muhal Chhatri, Tehsil Thunag, District Mandi,
Himachal Pradesh

. . . Petitioner.

Versus

General public

. . . Respondent.

Application for correction of name in the Revenue Record.

PROCLAMATION :

Since the petitioner *viz.* Kamal Dev s/o Swarn Dev, r/o Muhal Chhatri of this Tehsil has filed an application to the effect that his actual name is Kamal Dev but inadvertently it is recorded in the revenue record as Kamla Ram whereby he is facing difficulties by this incorrect name in the revenue records and thus prayed for correction as applied for in Muhal Chhatri & Bhajouhni.

Since the General public has been made as respondent and it has come to the satisfaction of the undersigned that the service of the summons/notices upon general public could not be effected in ordinary manners and hence this proclamation is hereby issued and call general public to file the objections if any in respect of making correction of name in revenue record, in person or through their legal representative on or before 9-2-2013 at 10.00 A.M. failing which an *ex parte* orders shall be passed and the application could be dealt in accordance therewith.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of January, 2013.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Assistant, Collector 1st Grade,
Tehsil Thunag, District Mandi, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

नं० मुकद्दमा : 4 / 2010

तारीख दायर : 7-4-2011

श्री कलम सिंह पुत्र श्री भगवान दास उर्फ राम सिंह, निवासी गांव सनैई, चक जगूणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती दावा देवी पुत्री श्री लोभी, निवासी गांव सनैई, चक जगूणी, हालावाद पत्नी श्री भजन दास, निवासी गांव सुंगरी बाहली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
2. श्रीमती संदीका पुत्री श्री टीकम दास, गांव सनैई, चक जगूणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, हालावाद पत्नी श्री ओंकार सिंह ठाकुर, निवासी गांव जाहू तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

दरखास्त तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भ० रा० अ० 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं० 277 / 1070 ता 1073, कित्ते 7, रकबा तादादी 00-85-56 है० वाका चक लालसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कलम सिंह पुत्र श्री भगवान दास उर्फ राम सिंह, निवासी गांव सनैई, चक जगूणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं० 277 / 1070 ता 1073, कित्ते 7, रकबा तादादी 00-85-56 है० वाका चक लालसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं० 1 ता 2 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादीगण के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है।

अतः प्रतिवादी नं० 1 ता 2 को इस इश्तहार द्वारा सूचित कया जाता है कि वह दिनांक 23-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यक्तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

नं० मुकद्दमा : 59 / 2011

तारीख दायर : 22-11-2011

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री देवू राम, निवासी अप्पर कल्याणपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

बनाम

1. श्री प्रिमू राम पुत्र श्री देवू राम, निवासी गांव अप्पर कल्याणपुर, 2. श्री विनोद कुमार पुत्र स्व०
श्री बालक राम, निवासी गांव डूगी रीवनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल
प्रदेश ।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भ० रा० अ० 1954 बाबत अराजी खाता / खतौनी
नं० 80 / 149, खसरा नं० 504, रकबा तादादी 849-70 वर्ग डै० मी० वाका चक पदमनगर,
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री देवू राम, निवासी अप्पर कल्याणपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता / खतौनी नं० 80 / 149, खसरा नं० 504, रकबा तादादी 849-70 वर्ग डै० मी०
वाका चक पदमनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण इस अदालत
में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं० 1 ता 2 की तामील
बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादीगण के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण
असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण
तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण
तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है।

अतः प्रतिवादी नं० 1 ता 2 को इस इश्तहार द्वारा सूचित क्या जाता है कि वह दिनांक 23-2-2013
को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की
सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं
है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री रोशन लाल पुत्र श्री बबलू राम, निवासी गांव कान्दरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रोशन लाल पुत्र श्री बबलू राम, निवासी गांव कान्दरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता श्री बबलू राम की मृत्यु वर्ष 1988 तथा दादी श्रीमती श्याम दासी की मृत्यु वर्ष 1972 में हो चुकी है परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत फांचा के अभिलेख में इनका मृत्यु का पंजीकरण दर्ज नहीं करवा सका है। अब आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत फांचा के अभिलेख में मृत्यु का पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री रोशन लाल के पिता व दादी की मृत्यु का पंजीकरण करने वारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19–2–2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में आवेदक के पिता व दादी की मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16–1–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री राज कुमार पुत्र श्री विद्या चन्द, निवासी गांव डुमी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राज कुमार पुत्र श्री विद्या चन्द, निवासी गांव डुमी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि आवेदक का नाम मुताविक स्कूल अभिलेख राज कमार सही दर्ज है, परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में आवेदक का नाम राजू दर्ज है जो सही नहीं है। प्रार्थी स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख, सराहन अपना नाम राजू के स्थान पर राज कुमार उर्फ राजू दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजू के स्थान पर राज कुमार उर्फ राजू दरुस्त/दर्ज करने वारे किसी व्यक्ति का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19–2–2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 16–1–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री बेली राम पुत्र स्व0 श्री रतन दास, निवासी गांव गसो, डाठ झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बेली राम पुत्र स्व0 श्री रतन दास, निवासी गांव गसो, डाठ झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि आवेदक की पुत्री श्रीमती कान्ता का विवाह श्री अजय शर्मा पुत्र श्री जगदीश, निवासी डेरा, सैक्टर दौड़ा, तहसील व जिला बिलासपुर (हिं0 प्र0) के साथ हुआ है। श्रीमती कान्ता अपने पिता श्री बेली राम के साथ अपने परिवार सहित संयुक्त रूप से गांव गसो, ग्राम पंचायत झाकड़ी में रहती आ रही है। श्रीमती कान्ता का नाम अपने पिता के साथ परिवार रजिस्टर में अंकित था परन्तु अब उसका विवाह होने के कारण नाम परिवार रजिस्टर से खारिज किया जा चुका है। श्रीमती कान्ता के पति का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज नगरपालिका परिषद्, बिलासपुर में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाण—पत्र नगरपालिका परिषद् बिलासपुर संलग्न दरख्बास्त कर रखा है। आवेदक अपनी पुत्री के परिवार का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अभिलेख, झाकड़ी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्री बेली राम की पुत्री श्रीमती कान्ता के परिवार का इन्द्राज ग्राम पंचायत, अभिलेख झाकड़ी में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-2-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में आवेदक की पुत्री के परिवार का इन्द्राज स्थानीय पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश पथिक सुपुत्र श्री रतन चन्द, आयु 38 वर्ष, निवासी गांव, डाकघर व तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश सूचित करता हूं कि मेरे सुपुत्र सौहार्द का नाम नगर निगम रिकॉर्ड में गलती से सूर्योष्ण दर्ज हो गया है। भविष्य में मेरे सुपुत्र को सौहार्द के नाम से ही जाना जाए।

सुरेश पथिक
सुपुत्र श्री रतन चन्द,
निवासी गांव, डाकघर व तहसील रोहडू
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी मकान नं 874/3, अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी मकान नं 874/3, अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री शरुती शर्मा की जन्म तिथि 7-1-2003 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-2-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कुमारी शरुती शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र हर्ष की जन्म तिथि 9-10-2009 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-2-2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर हर्ष का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री फजरअली पुत्र श्री आशिकअली, निवासी मकान नं० 194/8, नजदीक रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री फजरअली पुत्र श्री आशिकअली, निवासी मकान नं० 194/8, नजदीक रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री कुमारी जिया की जन्म तिथि 13—5—2010 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15—2—2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कुमारी जिया का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15—1—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री फिरोजखान पुत्र श्री बगू निवासी खडको, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री फिरोजखान पुत्र श्री बगू निवासी खडको, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र गुलाम रसूल की जन्म तिथि 16—6—2007 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15—2—2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर गुलाम रसूल का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15—1—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री फिरोजखान पुत्र श्री बग्गू निवासी खड़को, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री फिरोजखान पुत्र श्री बग्गू निवासी खड़को, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री कुमारी शकूरा की जन्म तिथि 5—9—2008 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15—2—2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कुमारी शकूरा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15—1—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रतीक शर्मा पुत्र श्री प्रेमदत्त शर्मा, निवासी मकान नं 103 / 12, कैट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री प्रतीक शर्मा पुत्र श्री प्रेमदत्त शर्मा, निवासी कैट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी स्वयं की जन्म तिथि 14—9—1989 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15—2—2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर प्रतीक शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15—1—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मंहगा राम पुत्र श्री नानक राम, निवासी मकान नं 0 414 / 11, नजदीक पैट्रोल पम्प नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री मंहगा राम पुत्र श्री नानक राम, निवासी मकान नं 0 414 / 11, नजदीक पैट्रोल पम्प नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी माता श्रीमती मेहली देवी जिसकी मृत्यु तिथि 16–12–1989 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15–2–2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्रीमती मेहली देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15–1–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी अमराईयों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी अमराईयों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री कुमारी प्रिती की जन्म तिथि 5–3–2009 है, का नाम ग्राम पंचायत सूरला, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15–2–2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कुमारी प्रिती का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15–1–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शकुन्तला तोमर पत्नी श्री सिंगा सिंह तोमर, निवासी अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्रीमती शकुन्तला तोमर पत्नी श्री सिंगा सिंह तोमर, निवासी अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री अंजुल तोमर की जन्म तिथि 24–7–1975 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15–2–2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अंजुल तोमर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15–1–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राकेश पुण्डर पुत्र श्री सरज्जान सिंह पुण्डर, निवासी सराहां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री राकेश पुण्डर पुत्र श्री सरज्जान सिंह पुण्डर, निवासी सराहां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अभिषेक पुण्डर की जन्म तिथि 5–5–2005 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15–2–2013 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अभिषेक पुण्डर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15–1–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज भाटिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 07/TU/Marriage Reg./2013.

श्री नीतिन हांडा पुत्र श्री गरीब दास, जाति सुनार, वार्ड नं0 11, मुहल्ला श्यामा, तहसील व जिला
ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री नीतिन हांडा पुत्र श्री गरीब दास, जाति सुनार, वार्ड नं0 11,
मुहल्ला श्यामा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि
उसकी शादी दिनांक 24—9—2012 को श्रीमती मोनिका सोनी पुत्री स्व0 श्री प्रेम लाल सोनी, जाति सुनार, गांव
व डा0 बिझाड़, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी
का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, नगरपरिषद् ऊना, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नीतिन हांडा पुत्र श्री गरीब दास,
जाति सुनार, वार्ड नं0 11, मुहल्ला श्यामा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती मोनिका सोनी
पुत्री स्व0 श्री प्रेम लाल सोनी, जाति सुनार, गांव व डा0 बिझाड़, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की
शादी का इन्द्राज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 16—2—2013 को इस न्यायालय में
उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही
अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8—1—2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री राजीव ठाकुर पुत्र स्व0 श्री केहर सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 पंजावर, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री राजीव ठाकुर पुत्र स्व0 श्री केहर सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 पंजावर,
तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र साहिल ठाकुर का

जन्म 28-5-1991 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म को लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, ग्राम पंचायत पंजावर, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु ग्राम पंचायत पंजावर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 5-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री दविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, जाति जट, गांव व डा० रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री दविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, जाति जट, गांव व डा० रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र हरजीत सिंह का जन्म 31-7-1985 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म को लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, नगर परिषद, ऊना, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु एवं सचिव, नगर परिषद ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

दावा सं 07/TU/B&D/2013.

श्री महिन्दर सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, जाति राजपूत, गांव व डाठो मलाहत, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री महिन्दर सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, जाति राजपूत, गांव व डाठो मलाहत, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती फुलां देवी की मृत्यु दिनांक 14-8-1994 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु को लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु एवं सचिव, ग्राम पंचायत मलाहत, तहसील व जिला ऊना के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु एवं सचिव, ग्राम पंचायत मलाहत, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 7-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री कुलविन्दर सिंह पुत्र श्री चौधरी राम, जाति बाहती, गांव व डाठो नंगड़ा, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री कुलविन्दर सिंह पुत्र श्री चौधरी राम, जाति बाहती, गांव व डाठो नंगड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका

नाम राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से रविन्द्र कुमार पुत्र चौधरी राम दर्ज हैं जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसका नाम रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चौधरी राम की बजाए कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री चौधरी राम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 16-2-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 2-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, जाति राजपूत, गांव व डाठ० सलोह, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्खास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, जाति राजपूत, गांव व डाठ० सलोह, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके दो पुत्रों दविन्दर जसवाल का जन्म 1-11-1981 तथा कबीर जसवाल का जन्म 5-5-1985 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उनके जन्म का रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु ग्राम पंचायत सलोह, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु ग्राम पंचायत सलोह में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 2-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार पुत्र श्री मलूक चन्द, जाति बाहती, गांव व डा० कुठार खुर्द,
तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री सतीश कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार पुत्र श्री मलूक चन्द, जाति बाहती, गांव व
डा० कुठार खुर्द, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन
प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में सहवन गलती से उसके पिता का नाम श्री जीत कुमार पुत्र श्री मलूक
चन्द दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक चाहता है कि उसके पिता का नाम श्री जीत कुमार पुत्र श्री मलूक
चन्द की बजाए श्री अजीत कुमार पुत्र श्री मलूक चन्द राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती राजस्व
अभिलेख में किए जाने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक
16-2-2013 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले
समायत न होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 2-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री सोम नाथ पुत्र श्री चरण दास, जाति चमार, गांव व डा० जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सोम नाथ पुत्र श्री चरण दास, जाति चमार, गांव व डा० जखेड़ा,
तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी
दिनांक 15-4-2012 को श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री अशोक कुमार, गांव व डा० रायेपुर सहोडां, तहसील व
जिला ऊना (हिं० प्र०) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत
जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सोम नाथ पुत्र श्री चरण दास, गांव व डा० जखेड़ां तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री अशोक कुमार, गांव व डा० रायेपुर सहोड़ां, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 16–2–2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3–1–2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

